पत्र क्रमांक 2-12-2 जी0 एस0 III

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

1. हरियाणा सरकार के सभी विभागाध्यक्ष आयुक्त अम्बाला तथा हिसार मंडल सभी उपायुक्त तथा उप मंडल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट तथा हरियाणा राज्य के सभी जिला एव संघ न्यायधीश ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 2 अप्रैल, 1980

विषय :—निलम्बित कर्मचारियों के केसों का शीघ्रता से निपटान करने बारे हिदायतें 18 मास से अधिक अवधि से निलम्बित कर्मचारियों की सूची मुख्य मन्त्री महोदय को प्रस्तुत करने बारे।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि आप का ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 2(12)2 जी0 एस0 III-79, दिनांक 11-1-80 की ओर दिलाऊं जिस द्वारा 18 मास से अधिक निलम्बित सरकारी कर्मचारियों के बारे मासिक विवरणी भेजी जानी अपेक्षित है। उससे पूर्व एसी सूचना चौकसी विभाग के परिपत्र क्रमांक 663/बी (6)-68/4651, दिनांक 1-3-68 के साथ संलग्न विवरणी 1, 2 व 3 में उन्हें भेजी जाती थी। कृपया यह सूचना उन्हीं 3 विवरणीयों में जिनकी प्रतियां संलग्न की जाती हैं इस विभाग को प्रत्येक मास की समाप्ति के 10 दिन के भीतर अवश्य भेजी जाया करे।

2. इस विभाग के पत्र क्रमांक 2(12)-2 जी0 एस0 II-79, दिनांक 11-1-80 के साथ भेजी गई विवरणी को रद्द समझा जाए।

भवदीय,
अवर सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व तथा हरियाणा सरकार के सभी प्रशासकीय सचिव से आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है।

हस्त/-
अवर सचिव सामान्य प्रशासन,
कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।